रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2009/आश्विन 2, 1931
No. 553] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2009/ASVINA 2, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 700(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2क. कोई व्यक्ति जो नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए प्ररूप-2 में आवेदन कर रहा है, वह समुचित सरकार के सक्षम प्राधिकारी को सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।"

3. उक्त नियमों के नियम 7क में, उप-नियम (2) के स्थान पर *निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्*:—

"2. उक्त प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार द्वारा विधिक कार्य से संबंधित अपने अधिकारियों में से एक या अधिक साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा और प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड का अध्यक्ष उस सरकार के संयुक्त सचिव या विधि अधिकारी से अन्यून पंक्ति का नहीं होगा ।"

4. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 2ख में "भारत सरकार का संयुक्त सचिव/सरकार का सचिव ....(राज्य का नाम)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "भारत सरकार का अपर सचिव/सरकार का सचिव ....(राज्य का नाम)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(271)/2000-एनसी]

डी. आर. मीना, अपर सचिव

टिप्पण :-मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 370 (अ) तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547 (अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17 (अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262 (अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172 (अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330 (अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460 (अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 467 (अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296 (अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 441 (अ), तारीख 24 जुलाई, 2006, सा.का.नि. 501 (अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73 (अ), तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319 (अ), तारीख 1 मई, 2007 सा.का.नि. 686 (अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2007 सा.का.नि. 51 (अ), तारीख 23 जनवरी, 2008, सा.का.नि. 636 (अ), तारीख 3 सितंबर, 2008, सा.का.नि. 764 (अ), तारीख 3 नवंबर, 2008, सा.का.नि. 114 (अ), तारीख 24 फरवरी, 2009 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2009

G.S.R. 700(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Notaries Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted namely :—

"2A. A person applying in Form II for appointment as a notary may submit the memorial direct to the Competent Authority of the Appropriate Government."

3. In rule 7A of the said rules, for sub-rule (2), the following shall be substitued, namely :—

"2. For the said purpose, one or more Interview Boards shall be constituted by the appropriate Government from amongst its officers dealing with legal matters and the Chairperson of every Interview Board shall be an officer not below the rank of Joint Secretary or Law Officer of that Government."

4. In FORM IIB appended to the said rules, for the words and brackets " Joint Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of .... (Name of the State)", the words and brackets "Additional Secretary to the Government of India/Secretary to the Government of ....(Name of the State)" shall be substituted.

[F. No. 5(271)/2000-NC]

D. R. MEENA, Addl. Secy.

Note :— The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number SRO 324 dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by GSR 370(E) dated the 8th July, 1997; GSR 547(E) dated the 31st August, 1998; GSR 17(E) dated the 5th January, 2000; GSR 262(E) dated the 28th March, 2000; GSR 630(E) dated the 21st July, 2000; GSR 172(E) dated the 12th March, 2001; GSR 330 (E) dated the 9th May, 2001; GSR 460(E) dated the 25th June, 2001; GSR 467(E) dated the 9th June, 2003; GSR 296(E) dated the 19th May, 2006; GSR 441 (E) dated the 24 th July, 2006; GSR 501(E) dated the 24th August, 2006; GSR 73 (E) dated the 9th February, 2007; GSR 86(E) dated the 14th February, 2007; GSR 319(E) dated the 1st May, 2007 read with GSR 330 (E) dated the 8th May, 2007; GSR 686(E) dated the 31st October, 2007; GSR 51(E) dated the 23rd January, 2008; GSR 636 (E) dated the 3rd September, 2008; GSR 764(E) dated the 3rd November, 2008; GSR 114(E) dated the 24th February, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.